तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-8-2019	**एकलपीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थितः** श्री सी.पी. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी। श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी। ———— **—: आदेश :—** यह निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2003 में पारित निर्णय दिनांक 07—8—2003 के प्रस्तुत की गई है। 2— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 3— विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी—याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की गई है कि धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् वाद—पत्र विपक्षी संख्या—1 से 6 ने सहायक कलक्टर, लाडनू के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या—1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र इन तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के विरूद्ध भी वाद प्रस्तुत किया है परन्तु धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत् वाद प्रस्तुती की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। वादपत्र में कहीं भी वाद—हेतुक का उल्लेख नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या—1 द्वारा वर्ष 1966 में ही पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को खरीद लिया है और पंजीकृत विक्रय पत्र के होते हुए भी वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने के लिए वाद प्रस्तुत किया है, जो कि विधि द्वारा वर्जित है। निगरानीकर्ता के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया गया और उभय पक्षों को सुनकर आलोच्य आदेश से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज कर दिया गया है, जो कि विधि विरूद्ध एवं तथ्यों से परे है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता / वादी की ओर से बहस की गई है कि निगरानीकर्ता / प्रतिवादी द्वारा निराधार प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बाद सुनवाई विधि अनुसार खारिज कर दिया गया है। निगरानी याचिका में कोई सार नहीं है। इस याचिका के मण्डल के समक्ष लम्बी अवधि से लम्बित रहने से विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण बाधित चला आ रहा है। अतः निगरानी याचिका को खारिज किया जावे। 5— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। 6— विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर पारित किये गये आलोच्य आदेश में अंकित किया गया है कि धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक प्रकृति का मामला होने से वाद प्रस्तुत की अनुमति मांगी गई है, अन्यथा भी यह आपत्ति करने का प्रतिवादी संख्या–1 को कोई अधिकार नहीं है, राज्य सरकार ही इस पर आपत्ति कर सकती है। वाद–हेतुक साक्ष्य का विषय है। बेचान की सत्यता भी साक्ष्य से ही तय होगी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से किये गये ऐतराजात को सारहीन पाते हुए सरसरी तौर पर वादपत्र को निरस्त करने से इन्कार कर दिया गया। 7— इस न्यायालय का मत है कि आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. के तहत् सरसरी तौर पर वाद–पत्र को खारिज किये जाने के आदेश पारित करने से पूर्व वादपत्र के अभिवचनों को देखा जाता है न कि प्रतिवादी की प्रतिरक्षा या उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को। वादपत्र के पैरा संख्या–8 में वाद–हेतुक का स्पष्ट उल्लेख है, ऐसे में प्रतिवादी की यह आपत्ति भी निराधार है कि वादपत्र में वाद हेतुक का अंकन नहीं किया गया है। अब जहां तक विक्रय पत्र का संबंध है, निश्चित ही यह भी विधि और साक्ष्य का प्रश्न है। खातेदारी की घोषणा के वाद में राजस्व न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है और प्रस्तुत वाद खातेदारी की घोषणा बाबत् ही विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है और इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं पाते हुए आलोच्य आदेश के माध्यम से प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में इस न्यायालय के विनम्र मत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8— परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू जिला नगौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07—8—2003 की पुष्टि की जाती है। उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के समक्ष दिनांक 11—9—2019 को आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें। इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। 9— पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	